राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी –3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

दूरभाष नम्बर–2226605 ईमेल **mahilakalyan.sje@rajasthan.gov.in**

क्रमांकः– एफ 15 ( )सा.सु./म.क./सान्यअवि/2025 दिनांकः यथा ई–हस्ताक्षर

निदेशक

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

राजस्थान जयपुर

विषयः– कामकाजी महिला निवास योजना के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि विभाग द्वारा कामकाजी महिला निवास योजना के संचालन हेतु संलग्न विज्ञप्ति को राज्य स्तरीय समाचार पत्रों –राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर के समस्त संस्करणों में डी.आई.पी.आर. द्वारा निर्धारित (न्यूनतम) साईज एवं दरों पर प्रकाशित करवाकर बिल दो प्रतियों में भिजवाने का श्रम करावे।

(बचनेश कुमार अग्रवाल)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ 15 ( )सा.सु./म.क./सान्यअवि/2025 दिनांकः यथा ई–हस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही है–

1. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
2. सहायक निदेशक (प्रचार) मुख्यावास को विज्ञप्ति जारी करवाने हेतु।
3. कार्यालय पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.02.11 14:11:46 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

ई–मेल ssraj.sje@Rajashan.gov.in

क्रमांकः एफ. 15()/सा.सु./म.क./सान्याअवि/2024–25/ जयपुर, दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षरित

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

जिला मुख्यालयों पर कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाना है, जिससे महिलाऐं आत्मनिर्भर और सशक्त बन सके। इस हेतु महिलाओं को मुख्य धारा में जोडने के लिए स्वयं सेवी संस्था/संगठन/ट्रस्ट/नगर निकाय/सेवा प्रदाताओं इत्यादि के माध्यम से कामकाजी महिला निवास (राजकीय भवन निर्मित होने तक अस्थाई रूप से) समस्त जिला स्तर पर संचालित किया जाना है।

राज्य सरकार उक्त योजना में कार्यकारी संस्था की महत्वपूर्ण भागीदारी के दृष्टिगत रखते हुए महिला कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित एवं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ पंजीकृत इच्छुक संस्था के साथ "अभिरूचि की अभिव्यक्ति" (Expression of Interest) जारी कर **दिनांक 10.03.2025** तक प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक संस्था अपना आवेदन पत्र संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय को प्रेषित कर सकेंगे।

संस्था के चयन हेतु :–

1. जिस संस्था द्वारा गृह के संचालन हेतु स्वयं का भवन निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। उसे चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।
2. जिस संस्था द्वारा गृह के संचालन हेतु भवन किराये की मांग की जाएगी उन्हें राजकीय भवन उपलब्ध कराने पर गृह के संचालन हेतु किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं करेगी।
3. कामकाजी महिला निवास योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुदान व अन्य शर्तें लागू होगी।
4. संभाग स्तरीय जिलों में कामकाजी महिलाओं के रोजगार स्थलों के आसपास ही 25–25 महिलाओं की स्वीकृत क्षमता के अधिकतम 4 (100 महिलाओं हेतु) कामकाजी महिला निवास खोले जावेगें तथा अन्य जिलो में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा कामकाजी महिलाओं के रोजगार स्थलों के आसपास ही 25–25 महिलाओं की स्वीकृत क्षमता के अधिकतम 2 (50 महिलाओं हेतु) कामकाजी महिला निवास खोले जावेंगे।
5. संस्था के चयन के पश्चात् जिला अधिकारी एवं संस्था के मध्य **मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेंडिग** (MOU)/Model Concession Agreement होगा ।

नोटः–आवेदन पत्र, पात्रता एवं शर्तें विभागीय वेबसाईट https://sje.rajasthan.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

(बचनेश कुमार अग्रवाल)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.02.11 14:11:14 IST
Reason: Approved

क्रमांकः एफ. 15()/सा.सु./म.क./सान्याअवि/2024-25/ जयपुर, दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षरित

प्रतिलिपिः-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, जिला कलक्टर........................समस्त।
4. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग....................................समस्त को भेज कर लेख है कि उक्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
5. सहायक निदेशक (प्रचार-प्रसार) मुख्यावास को भिजवाकर लेख है कि राज्य स्तरीय समाचार पत्रों- राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर के समस्त संस्करणों में न्युनतम साईज में प्रकाशित करवाने का श्रम करावे।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.02.11 14:11:14 IST
Reason: Approved